शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण (डी0पी0एड0) प्रशिक्षण शैक्षिक सत्र 2016–17 में ऑन लाइन आवेदन हेतु निर्देश

शासनादेश सं0 1448/15–11–2014 दिनांक 22.10.2014 के अनुपालन में प्रदेश में डी0पी0एड0 प्रशिक्षण शैक्षिक सत्र 2016–17 में चयन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। इस हेतु इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को **दिनांक 05.10.2019 से दिनांक 03.11.2019 तक वेबसाइट http://entdata.in** पर ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑन लाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

1. शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण (डी0पी0एड0) दो वर्षीय सेवापूर्व प्रशिक्षण होगा।

2. **शैक्षिक योग्यता–** डी0पी0एड0 प्रशिक्षण में चयन हेतु उ0प्र0 के ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे, जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट होगी।

3. **आयु सीमा –** डी0पी0एड0 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की आयु प्रशिक्षण में चयन हेतु आवेदन प्राप्त करने वाले वर्ष की दिनांक 01 जुलाई को अर्थात् **01 जुलाई 2019** को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट न होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की सामान्य छूट होगी। **शारीरिक रूप से अक्षम/विकलांग अभ्यर्थी इस प्रशिक्षण हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।** भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) की आयु सीमा में शिथिलता शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार की जायेगी।

4. **आरक्षण –** अभ्यर्थियों के चयन में राज्य सरकार की विद्यमान आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गो हेतु आरक्षण की व्यवस्था की जायेगी। विशिष्ट आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों (स्वयं) के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 यथा संशोधित 1997 एवं 1999 (यथासंशोधित) द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही आरक्षण देय होगा।

5. **प्रशिक्षण हेतु चयन का आधार –** डी0पी0एड0 प्रशिक्षण में चयन शैक्षिक गुणांक तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंको के आधार पर मेरिट के अनुसार किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आगणन करते हुये राज्य स्तर की वरीष्ठता सूची सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा तैयार करायी जायेगी। कुल सीटों के सापेक्ष तीन गुना अभ्यर्थियों को वरिष्ठताक्रम में मेरिट के अनुसार शारीरिक दक्षता मापन परीक्षा और साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन सूची में स्थान दिया जायेगा।

6. **प्रशिक्षण संस्थान का नाम एवं आवंटित सीट –**

1	राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय रामपुर	**50**
2	राजकीय महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रयागराज	**25**
3	क्रिश्चियन फीजिकल एजूकेशन, लखनऊ **(अल्पसंख्यक संस्थान होने के कारण 5 सीटों पर प्रवेश स्वयं संस्थान द्वारा किया जायेगा)**	**30**
4	श्री गांधी स्मारक शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, समोदपुर, जौनपुर	**25**

7. **शारीरिक दक्षता परीक्षा –** शैक्षिक गुणांक के आधार पर तैयार की गयी वरिष्ठता के क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों के लिए ही शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। यह 30 अंक की होगी, जो डी0पी0एड0 प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा में अभ्यर्थी को खेलकूद एवं एथेलिटिक्स से सम्बन्धित कम से कम 05 प्रतियोगिताओं में अपनी शारीरिक योग्यता का प्रदर्शन करना होगा। वरिष्ठता सूची में आये पुरूष अभ्यर्थियों की यह परीक्षा राज्य विद्यालयी क्रीडा संस्थान, डाभा सेमर, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश एवं महिला अभ्यर्थियों की राजकीय महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रयागराज में होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय अभ्यर्थी अपना आवक्ष कद (पासपोर्ट साइज) का वही नवीनतम प्रमाणित फोटो, जो आवेदन पत्र में अपलोड की हो, साथ लायेंगे। इस परीक्षा के लिए मूल्यांकन हेतु समिति इस प्रकार होगी –

(क) प्राचार्य, राज्य विद्यालयी क्रीडा संस्थान, डाभा सेमर, फैजाबाद — अध्यक्ष

(ख) प्राचार्य/प्राचार्या, शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रयागराज/रामपुर/लखनऊ/जौनपुर — सदस्य

(ग) निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 द्वारा नामित प्रतिनिधि — सदस्य

(घ) मनोवैज्ञानिक (मनोविज्ञानशाला के निदेशक द्वारा नामित प्रतिनिधि — सदस्य

शैक्षिक गुणांक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंको के आधार पर सम्बन्धित प्रशिक्षण महाविद्यालयों में एन0सी0टी0ई0 द्वारा आवंटित सीटों के सापेक्ष वरीयताक्रम में औपबन्धिक चयन सूची सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा तैयार की जायेगी। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजीकल एजूकेशन, लखनऊ में डी0पी0एड0 में प्रवेश लेने वाले क्रिश्चियन अभ्यर्थियों के लिए 15 प्रतिशत स्थान सुरक्षित होंगे।

8. **आवेदन शुल्क–** डी0पी0एड0 प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने वाले अनूसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रू0 200 तथा अन्य अभ्यर्थियों को रू0 400/– होगा। निर्धारित शुल्क यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में ***(अभ्यर्थी द्वारा इंटरनेट बैकिंग/ए0टी0एम0 कार्ड/डेबिट कार्ड/केडिट कार्ड के माध्यम से)*** जमा करना होगा। इस शुल्क का उपयोग चयन से सम्बन्धित विज्ञप्ति के प्रकाशत तथा अन्य आकस्मिक व्यय हेतु किया जायेगा।

9. **आवेदन पत्र प्राप्त करना –**

(i) डी0पी0एड0 प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों से ऑन लाइन आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेगें। ऑन लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज द्वारा प्रदेश के बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों के समस्त संस्करणों में प्रकाशित की जायेगी।

(ii) अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन में समस्त आवश्यक सूचनायें मांगी जाएगी। आवेदन पत्र का प्रारूप, आवेदन हेतु निर्देश तथा ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने के लिए तकनीकी एवं

परिचालन सम्बन्धी निर्देश उक्त हेतु निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध होगें। ऑन लाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा अपेक्षित विवरण पूर्ण सावधानी के साथ भरा जाय तथा अभ्यर्थी द्वारा समस्त प्रविष्टियों को भली प्रकार चेक कर लिया जाय। ऑन लाइन आवेदन सबमिट करने से पूर्व पुनः समस्त भरी हुई प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक जांच लिया जाय। एक बार सबमिट करने के उपरान्त प्रविष्टियों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।

(iii) यदि किसी अभ्यर्थी की अंकतालिका में प्राप्तांक/पूर्णांक के स्थान पर ग्रेड प्वांइन्ट का उल्लेख हो तो ऐसे अभ्यर्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय से ग्रेड प्वाइंट के प्रतिशत में कनवर्जन का फार्मूला ज्ञात करके तदनुसार प्रतिशत निकाल लें तथा प्रतिशत को अंकों में परिवर्तित कर पूर्णांक एवं प्राप्तांक का उल्लेख करें। पूर्णांक एवं प्राप्तांक के आधार पर प्रतिशत वही आना चाहिए, जो ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में कनवर्जन करने पर आता है। ऐसे अभ्यर्थियों को कुल सचिव/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड प्वाइंट के समतुल्य प्राप्तांक प्रतिशत तथा ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र (फार्मूला) मूल प्रमाण पत्रों के जांच (काउंसिलिंग) के समय साथ लाना होगा।

(iv) ऑन लाइन आवदेन में प्रविष्टियाँ अभ्यर्थियों द्वारा पूर्ण सावधानी के साथ भरी जानी चाहिए, क्योंकि यही चयन का आधार है। ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन के समय भरे गए विवरण का प्रिंट आउट, ई–चालान का प्रिंट आउट तथा आवदेन पत्र का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। ऑन लाइन आवेदन की प्रविष्टियों में सुधार अथवा परिवर्तन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

(v) अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में जो भी सूचनायें अंकित की जायेंगी/विभिन्न परीक्षाओं के जो अंक उल्लिखित किये जायेंगे/जिस श्रेणी के आरक्षण/विशेष आरक्षण का दावा किया गया होगा, उन्हीं का लाभ अभ्यर्थी को चयन में दिया जायेगा। आवेदन पत्र में भरी गयी सूचना से भिन्न सूचना को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(vi) अभ्यर्थी द्वारा ऑन लाइन आवेदन में प्रशिक्षण विद्यालय का विकल्प देना होगा परन्तु अभ्यर्थी को संस्था का आवंटन मेरिट तथा आरक्षण नियमों के आधार पर किया जायेगा। एक बार प्रशिक्षण संस्था आवंटित होने के बाद उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा और न ही प्रशिक्षण अवधि में एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानान्तरण किया जायेगा। संस्था आवंटन में अन्तिम निर्णय सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 प्रयागराज का होगा।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अंकित विवरण की सत्यता के सम्बन्ध में यह घोषणा (Undertaking) दी जायेगी कि यदि उसके द्वारा अंकित किया गया विवरण त्रुटिपूर्ण/असत्य है तो न केवल उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा, अपितु उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा यह भी घोषणा की जायेगी कि आवेदन करने की तिथि को उसके पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंकपत्र/प्रमाण पत्र/आरक्षण एवं विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध है। आवेदन करने की अन्तिम तिथि के बाद निर्गत तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न अंकपत्र/प्रमाण पत्र से भिन्न कोई भी अंकपत्र/प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(viii) ऑन लाइन आवेदन के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी की प्रवेश हेतु समस्त अर्हतायें पूरी होनी चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं से सम्बन्धित हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा के अंकपत्र/प्रमाण पत्र तथा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र/विशेष आरक्षण श्रेणी प्रमाणपत्र, की स्वप्रमाणित स्पष्ट पठनीय छायाप्रतियॉ जॉच के समय प्रस्तुत करनी होंगी। ऑन लाइन आवेदन की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद के निर्गत शैक्षिक अंकपत्र तथा आरक्षण/विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। मूल अभिलेखों की जॉच के समय आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियों से इतर सूचनाओं वाले प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ix) प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थियों को सम्बन्धित संस्थान में रू0 10 के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर अपने रंगीन फोटो सहित नोटरी से प्रमाणित इस आशय का शपथपत्र अनिवार्य रूप से देना होगा कि वह वास्तव में उत्तर प्रदेश के ....जनपद का निवासी है, उसके पास आवेदन पत्र और जांच प्रपत्र में भरा गया विवरण सत्य है, चयन/प्रशिक्षण/प्रशिक्षणोपरान्त किसी भी स्तर पर कोई सूचना गलत पाये जाने अथवा फर्जी पाये जाने अथवा चयन त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। जांच के समय अभ्यर्थी को अपनी पहचान (Identity) के प्रमाण के रूप में मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट, बैंक की फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त राशन कार्ड, यू0आई0डी0 में से उसी एक को प्रस्तुत करना होगा। फोटो आईडी प्रूफ से उसके आवेदन पत्र में चस्पा फोटो का मिलान किया जायेगा।

(x) प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्था द्वारा अभिलेखों का निर्गमन करने वाली संस्थाओं से कराया जायेगा। चयन/जॉच/प्रवेश/प्रशिक्षण/नियुक्ति किसी भी स्तर पर अभिलेखों में विसंगति पाये जाने पर अथवा अभिलेखों के फर्जी पाये जाने पर चयनित/प्रशिक्षित/नियुक्त अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(xi) डी0पी0एड0 प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु चयन सम्बन्धी उत्तरदायित्व सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज का होगा, जिसमें शासनादेश दिनांक 27.02.2004 द्वारा गठित समिति के सदस्यों का सहयोग रहेगा। प्रवेश हेतु प्रशिक्षण महाविद्यालयों में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा आवंटित सीटों के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए औपबन्धिक चयन सूची निर्गत की जायेगी तथा सम्बन्धित प्रशिक्षण महाविद्यालयों को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या द्वारा मूल अभिलेखों, अंकपत्र/प्रमाण पत्र आरक्षण/विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र आदि के मिलान करने तथा पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही अभ्यर्थियों को उक्त प्रशिक्षण हेतु प्रवेश दिया जायेगा।

6.10.19

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज